न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर

CNR No. UPAN010046822026

Bail Application/750/2026

गुरूचरन आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र रामरूप निवासी ग्राम अराजी देवारा, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर।

.....अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0 292/2010
धारा 363,366 भा0दं0वि0
थाना– राजेसुल्तानपुर,
जिला– अम्बेडकर नगर।

09.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त गुरूचरन द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, प्रार्थी रामजीत पुत्र श्री रामरसिक द्वारा न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र 156–3 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की नाबालिक लडकी देवान्ती उम्र लगभग 14 वर्ष की दिनांक 22.01.2010 को सुबह लगभग 5 बजे प्रार्थी के गांव के रामकिशुन, रामरूप व रामकिशुन की मां शोभावती व भाई जयप्रकाश, गुरूचरन पुत्रगण रामरूप बहला –फुसलाकर भगा ले गये। प्रार्थी की लड़की जाते समय अपने घर से 10000/–रू0 नगद 5 थान जेवर अपने साथ अपने मां का उक्त लोगों के बहकावे में आकर लेकर चली गयी। उक्त लोगों के साथ प्रार्थी की लड़की देवान्ती को जाते हुए प्रार्थी के गांव के दीपचन्द्र पुत्र जगन्नाथ व रामू पुत्र पलकधारी आदि ने देखा प्रार्थी जब अपनी लड़की का पता करने रामकिशुन के घर गया तो घर पर रामकिशुन नहीं थे उनकी मां शोभावती, जयप्रकाश व गुरूचरन मिले तो प्रार्थी ने उनसे अपनी लड़की के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि आप की लड़की को रामकिशुन लेकर कही चला गया है हम लोग उसका पता नहीं बतावेगे जो करना हो जाकर करो। प्रार्थी उक्त घटना की सूचना देने स्थानीय थाने पर गया तो थाने की पुलिस ने कहा चलो जांच करके रिपोर्ट लिखेगे न तो मौके पर पुलिस आयी और न ही प्रार्थी की रिपोर्ट लिखी गयी तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। उक्त के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.09 18:17:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत विलंब से दर्ज करायी गयी है विलंब का कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। घटना के बाद आज तक न तो पीड़िता बरामद हुई और न ही पीड़िता के साथ ले जाने वाला व्यक्ति कथित अभियुक्त रामकिशुन ही बरामद हुआ बल्कि दो साल पूर्व राम किशुन की लावारिस लाश जम्बू एवं कश्मीर राज्य में पायी गयी जिससे वादी मुकदमा की ही भूमिका संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादी मुकदमा ने रंजिश के आधार पर पूरे परिवार को हैरान व परेशान करने की नीयत से फर्जी मुकदमा कायम कर नामित अभियुक्त बना दिया है जबकि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार अम्बेडकर नगर में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी सक्षम जमानत न्यायालय के आदेशानुसार देने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विवेचना/मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने की आख्या आहूत की गयी। थाने से आख्या प्राप्त है। जिसके अनुसार, अभियुक्त की जमानत का प्रबल विरोध किया गया हैं।

5. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार, प्रकरण सन् 2010 का है। अभियुक्त पर वर्ष 2010 में वादी की नाबालिग पुत्री को बहला– फुसला कर भगा ले जाने का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज में अत्यन्त ही घृणित एवं संज्ञेय प्रकृति का है, तथा नाबालिग महिला की अस्मिता से संबंधित है। यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तो साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार किये हुए अभियुक्त के जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थी/अभियुक्त गुरूचरन द्वारा मु0अ0सं0 292/2010 अन्तर्गत धारा 363,366 भा0दं0सं0, थाना राजेसुल्तानपुर, जिला अम्बेडकर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 09.06.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकर नगर।
I.D.No. UP01837